न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–518/2026

(CNR No.UPBH010012692026)

आशीष प्रताप सिंह उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र धर्म प्रताप सिंह, निवासी–सरवा, थाना–रानीपुर, जनपद–बहराइच––– –––आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र० राज्य ––– –––अभियोगी।

अपराध संख्या–07/2026,
धारा–115(2),352,351(3),333,105,
191(2),191(3),190 बी०एन०एस०,
थाना–रानीपुर, जनपद–बहराइच।

–––

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

19.03.2026

1. थाना–रानीपुर, जनपद–बहराइच के अपराध संख्या–07/2026, अन्तर्गत धारा–115(2), 352, 351(3), 333, 105, 191(2), 191(3), 190 बी०एन०एस० के प्रकरण में जिला कारागार, बहराइच में निरुद्ध आवेदक/अभियुक्त आशीष प्रताप सिंह की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र शपथी धर्म प्रताप सिंह के शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र व संलग्न शपथ–पत्र में इस आशय का कथन किया गया कि उसका यह जमानत प्राथ ना–पत्र सत्र न्यायालय पर प्रथम है। उसकी ओर से कोई अन्य जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय पर नहीं दिया गया है।।

3. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा आवेदक/अभियुक्त आशीष प्रताप सिंह की जमानत दिनांक–26.02.2026 को निरस्त की गई है।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी प्रीतम दिनांक–11.01.2026 को समय 10:15 बजे करीब रात्री में घर के बाहर अपने परिवार के साथ बैठी थी, तभी कुछ लोग उसके पिता त्रिलोकी के साथ मार–पीट करने लगे, जिसमें उसके पिता त्रिलोकी के सिर पर मार–पीट से चोटें आ गई। विपक्षीगण सूरज सिंह, चन्दन सिंह, शिवानरन सिंह, शुभम सिंह ने उसके परिवार व पिता को मारा–पीटा और गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग गये। उसके पिता त्रिलोकी को इलाज के लिए जिला अस्पताल, बहराइच में भर्ती कराया गया है।

5. वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर दिनाँक–11.01.2026 को समय 23:03 बजे थाना–रानीपुर में सह–अभियुक्तगण सूरज सिंह, शुभम सिंह, चन्दन सिंह व शिवनरन सिंह के विरुद्ध अपराध सं०–07/2026, धारा–115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई। दौरान विवेचना मामले में आवेदक/अभियुक्त एवं सह–अभियुक्तगण शिवांश सिंह, रवि सिंह, गोपाल सिंह, अक्षय प्रताप सिंह का नाम प्रकाश में आया तथा धारा–333, 105, 191(2), 191(3), 190 बी०एन०एस० की वृद्धि की गई। मामले की विवेचना प्रचलित है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र व संलग्न शपथ–पत्र में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुए कहा कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसे रंजिशन झूंठे आरोप लगाकर मुकदमे में फंसा दिया गया है। रवि सिंह नाम की कोई उर्फियत उसकी नहीं है। घटना के गांव से उसका गांव करीब 3–4 किलोमीटर के फासले पर है। वादी पक्ष महज अभियुक्तों का सम्बन्धी होने के कारण विवेचना के दौरान स्थानीय पुलिस से मिलकर उसे भी इस मुकदमे में फंसा दिया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक–15.01.2026 से जिला कारागार, बहराइच में निरुद्ध है। उपरोक्त कथनों के आधार पर

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.03.19 16:33:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गई है।

7. राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच ने जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि आवेदक/अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। आवेदक/अभियुक्त ने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में लाठी, डण्डा व खतरनाक हथियारों से लैस होकर विधि–विरुद्ध जमाव कायम करके वादिनी के घर में घुसकर बल्वा कारित किया एवं वादिनी के पिता त्रिलोकी को मार–पीटकर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं जान से मारने की नीयत से खतरनाक हथियार बांस की लाठी, हाकी, बेंत कुदाल, लोहे की पाइप से हमला किया, गाली–गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अभियुक्तगण के मारने–पीटने से वादिनी के पिता त्रिलोकी के सिर में काफी चोट आई, जिनके कारण दौरान इलाज त्रिलोकी की मृत्यु हो गई। घटना का समर्थन वादिनी व अन्य साक्षियों ने विवेचक को दिये अपने–अपने बयानों में किया है। मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व सिर में आई चोट के कारण कोमा से होना अंकित है। आवेदक/अभियुक्त एवं सह–अभियुक्तगण सूरज सिंह, शुभम सिंह की निशाँदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बांस की लाठी, हाकी, लकड़ी का डण्डा, बेंत कुदाल, लोहे की पाइप को पुलिस द्वारा मुंशीपुरवा पुलिया सूखे नहर से लगभग 100 मीटर अन्दर से बरामद किया गया। सह–अभियुक्तगण सूरज सिंह, शुभम सिंह एवं चन्दन सिंह की जमानतें सत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त की जा चुकी हैं। मामले में विवेचना प्रचलित है। साक्ष्य संकलन होना शेष है। यदि आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान की गई तो अभियुक्त के फरार होने, गवाहों को डराने, धमकाने एवं प्रकरण की विवेचना व विचारण में प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना है। कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

8. जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध केस डायरी, अभियोजन प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया।

9. केस डायरी एवं अन्य सुसंगत प्रपत्रों के परिशीलन से प्रकट होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में लाठी, डण्डा व खतरनाक हथियारों से लैस होकर विधि–विरुद्ध जमाव कायम करके वादिनी के घर में घुसकर बल्वा कारित किया एवं वादिनी के पिता त्रिलोकी को मार–पीटकर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं जान से मारने की नीयत से खतरनाक हथियार बांस की लाठी, हाकी, बेंत, कुदाल, लोहे की पाइप से हमला किया, गाली–गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया और वादिनी के पिता त्रिलोकी को मार–पीट में आई चोटों के कारण दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। केस डायरी के साथ संलग्न मृतक त्रिलोकी का पोस्टमार्टम दिनांक–14.01.2026 को 01:00 पी०एम० से 01:45 पी०एम० तक किया गया, जिसमें उसके शरीर पर मृत्यु पूर्व सात चोटें आना, मस्तिष्क में हेमोटोमा मौजूद होना तथा मृतक की मृत्यु एन्टीमार्टम हेड इंजरी से कोमा के कारण होना अंकित है। केस डायरी के पर्चा संख्या–2 में वादिनी प्रीतम ने विवेचक को दिये अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का समर्थन करते हुए दिनांक–11.01.2025 को शाम के समय रमवापुर चौराहे पर शराब पीने की बात को लेकर उसके चाचा चेतराम व विपक्षी चन्दन सिंह, सूरज सिंह के मध्य कहा–सुनी होने, इसी बात को लेकर समय करीब 10:00 बजे रात्रि में विपक्षी चन्दन सिंह, सूरज सिंह, शुभम सिंह, शिवांश सिंह तथा अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ एक राय होकर उसके घर में घुसने, मां–बहन की गाली–गुप्ता देने, उसके पिता त्रिलोकी को लोहे की राड, हाकी, लाठी, डण्डों से मारने–पीटने, उसके पिता को घर के अन्दर से बाहर खींचकर ले जाने, रास्ते पर पटककर उसके पिता के सिर पर हाकी, डण्डों से वार करने, उसके भाई सुधीर कुमार यादव के बचाने पर उसे भी लात, घूसा से मारने–पीटने, मौके से जाते हुए जान से मारने की धमकी देने, मार–पीट से उसके पिता त्रिलोकी के सिर पर काफी गम्भीर चोट लगने के कारण वहीं पर बेहोश होकर गिर जाने, सिर से काफी खून निकलने, उसके पिता की गम्भीर हालत होने के कारण जिला अस्पताल, बहराइच लेकर जाने, वहां से लखनऊ मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर रेफर कर देने, जहां इलाज चलने का अभिकथन किया है। उक्त केस डायरी के उक्त पर्चे में ही स्वतंत्र साक्षीगण राजेश, सिपाहीलाल यादव ने विवेचक को दिये

अपने–अपने बयानों में उपरोक्त साक्ष्य के समान कथन किया है। केस डायरी के पर्चा सं०–3 में साक्षी वादिनी की मां चम्पा देवी ने भी विवेचक को दिये अपने बयान में उपरोक्त साक्ष्य के समान कथन किया है। केस डायरी के पर्चा सं०–5 में मृतक के भाई/चश्मदीद साक्षी चेतराम ने विवेचक को दिये अपने बयान में दिनांक–11.01.2026 को सायंकाल करीब 06:30 बजे अपने भाई शीतल यादव के साथ रमवापुर चौराहे पर मौजूद होने, तभी रवि सिंह द्वारा शराब के ठेका से लौटकर चौराहे पर आकर उन दोनों भाईयों को अहिर शब्द के अपशब्द वाक्य बोलने, विवाद को बढ़ता देख वापस घर चले जाने, तभी इसी बात को लेकर अपना वर्चस्व बनाने के लिए रात्रि करीब 10 बजे रवि सिंह उसके चचेरे भाई आशीष सिंह, रिश्तेदार चन्दन सिंह, सूरज सिंह, शिवांश सिंह, शुभम सिंह, गोपाल सिंह, अक्षय प्रताप सिंह व कुछ अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा एकराय होकर अपने–अपने हाथ में हाकी, डण्डा, लाठी व लोहे की राड लेकर उसके घर में चढ़कर माँ–बहन की गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने, मामले को गम्भीर देखते हुए अपने भाई त्रिलोकी के घर के पीछे छुप जाने, तभी खोजते हुए उसके भाई त्रिलोकी के घर पहुंच जाने, घर के अन्दर घुसकर गालियां देने, उसके भाई त्रिलोकी द्वारा गाली देने से मना करने पर त्रिलोकी को लाठी, डण्डा, हाकी व लोहे की राड से मारने–पीटने, त्रिलोकी के घर से निकलकर सड़क की तरफ भागने पर त्रिलोकी को खड़ंजा पर गिराकर मारने, त्रिलोकी के बेहोश होने, त्रिलोकी को लेकर सदर अस्पताल बहराइच जाने व दिनांक–13.01.2026 को ट्रामा सेन्टर लखनऊ में मृत्यु होने का अभिकथन किया है। उक्त कथन के समान कथन चश्मदीद साक्षी शीतल ने विवेचक को दिये अपने बयान में किया है। केस डायरी के साथ संलग्न फर्द बरामदगी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त एवं सह–अभियुक्तगण सूरज सिंह, शुभम सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनकी निशाँदेही पर नहर पुलिया से 100 मीटर आगे नहर के अन्दर से घटना में प्रयुक्त एक अदद बांस की लाठी, एक अदद हाकी, एक अदद डण्डा लकड़ी का, एक अदद लोहे की पाइप बरामद किया गया। मामले की विवेचना प्रचलित है। साक्ष्य संकलित होना शेष है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

10. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्त की जमानत का आधार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक/अभियुक्त का उपरोक्त जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त आशीष प्रताप सिंह की तरफ से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(राजेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

दिनाँकः 19.03.2026 **I.d.UP02017**